

30/12/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सतारी देवगम, पिता- बेरगा देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- मतकमहातु, थाना नं०- 642 के अन्दर खाता नं०- 29, प्लॉट नं०- 1491, रकवा- 0.11 एकड़ भूमि क्रेता मोटाय सामड, पिता- गोपीनाथ सामड, ग्राम- बादुडी, थाना- मुफ्फासिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 705 दिनांक- 12.10.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मोटाय सामड, पिता- गोपीनाथ सामड, ग्राम- बादुडी, थाना- मुफ्फासिल, चाईबासा के पास 10,96,000.00/- (दस लाख छियानब्बे हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ से भी ज्यादा भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति प्रयाप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सतारी देवगम, पिता- बेरगा देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने क्रेता मोटाय सामड, पिता- गोपीनाथ सामड, ग्राम- बादुडी, थाना- मुफ्फासिल चाईबासा के पास 10,96,000.00/- (दस लाख छियानब्बे हजार) रुपये में मौजा- मतकमहातु, थाना नं०- 642 के अन्दर खाता नं०- 29, प्लॉट नं०- 1491, रकवा- 0.11 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।